EMPLOYEES' PROVIDENT FUND OFFICERS' ASSOCIATION
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA
Regional Office, Sham Nagar, Near General Bus Stand, Ludhiana – 141001 (Punjab)

(Regn. No. 33/2015)

Phone: 0161-2440559, 9655565892
Fax: 0161-2402206
WhatsApp: EPF Officers' Association (9655565892)
PAN: AAAAE7689J

Email: epfooa@gmail.com
Web: www.epfoa.in
Facebook: Epfoa India
Twitter: @epfoaindia

PRESIDENT
Sh. Navendu Rai
Regional PF Commissioner-I

WORKING PRESIDENT
Sh. Manoranjan Kumar
Regional PF Commissioner –I

SECRETARY GENERAL
Sh. Saurabh Swami
Regional PF Commissioner -I

JOINT SECRETARY GENERAL
Sh. Pankaj Verma
Regional PF Commissioner -II

TREASURER
Smt. Ritu Kanojia
Regional PF Commissioner-II

MEMBER,CENTRAL EXECUTIVE
Sh. Mayank Raj
Regional PF Commissioner -II

Sh. Avinash Sinha
Regional PF Commissioner-II

Sh. Mukteshwar Vyas, Assistant PF Commissioner

26.08.2025

सेवा में

माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री/
माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी),
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार,
नई दिल्ली – 110001

विषय: 1. ईपीएफ आयुक्तों के कैडर के लिए नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन (एनएफयू) लाभों से निरंतर इनकार के संबंध में हस्तक्षेप के लिए अनुरोध ।
2. ईपीएफ अधिकारी संघ के साथ बैठक के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध।

आदरणीय महोदय,

सविनय निवेदन हैं कि 04 मार्च 2025 को ईपीएफ अधिकारी संघ (ईपीएफओए) के साथ मुलाकात हुई थी और आपने धैर्यपूर्वक हमारी दीर्घकालिक चिंताओं को सुना। आपको याद होगा कि इस बैठक के दौरान, हमने ईपीएफ आयुक्तों के कैडर को एनएफयू लाभों का भुगतान न करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था, जो आयुक्त कैडर के लगभग सभी अधिकारियों के लिए बहुत महत्व का मामला है।

2. 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (6 वें सीपीसी) के कार्यान्वयन के समय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ ने औपचारिक रूप से ईपीएफओ अधिकारियों के लिए एनएफयू योजना को मंजूरी दे दी थी। सीबीटी ने एनएफयू के प्रावधान सहित छठे सीपीसी की सभी सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था।

3. इस बैठक के दौरान आपके द्वारा दिए गए आश्वासन के लिए बहुत आभारी हैं कि एनएफयू लाभ ईपीएफओ अधिकारियों को दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। आपके आश्वासन के अनुरूप हमने ईपीएफओ प्रबंधन से मंत्रालय से नए दिशानिर्देश लेने का अनुरोध किया था। परंतु खेद है कि ईपीएफओ ने इस मामले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), चंडीगढ़ बेंच के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि एनएफयू ईपीएफओ पर लागू नहीं होता है।

4. ईपीएफओ द्वारा लिया गया यह रुख स्पष्ट रूप से सीबीटी ईपीएफ द्वारा पूर्व अनुमोदन के विरुद्ध है, क्योंकि सीबीटी, ईपीएफ ने पहले ही ईपीएफओ अधिकारियों के लिए एनएफयू लाभों को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत, सीबीटी ईपीएफओ अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए विशेष अधिकार रखता है। इस अधिकार की पुष्टि पहले विभिन्न न्यायिक मंचों के साथ-साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई है।

5. उपर्युक्त के संदर्भ में, हम आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप ईपीएफओ को अपने रुख पर पुनर्विचार करने का निर्देश दें। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और समर्थन के साथ, यह मुद्दा समाधान की ओर तेजी से बढ़ेगा।

6. हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि ई.पीएफओए को आपसे बैठक करने का एक अवसर शीघ्र प्रदान किया जाए, ताकि हम आपको इस मुद्दे की वर्तमान स्थिति और अन्य लंबित मामलों से अवगत करा सकें।

कृतज्ञता और सर्वोच्च सम्मान के साथ,

भवदीय,

सौरभ स्वामी

(सौरभ स्वामी)
महासचिव, ईपीएफ अधिकारी संघ

प्रतिलिपि:

1. **केंद्रीय पी एफ आयुक्त, ईपीएफओ, नई दिल्ली** - कृपया सूचनार्थ।